22/11/22 पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट के एक-एक बार-बार आवाज दिलवाई गई। अदालत समय एक अपीलान्ट और न ही वकील अपीलान्ट उपस्थित हुए। पत्रावली अदम पैरवी होने पर पैरवी के अभाव में खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर के नम की आमद दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा